1/5/24 पत्रावली पेश हुई। फकुलाय फेरिकेन उपस्थित। प्रतिपक्षीगण की तामील सम्यक रूप से रजि. डाक से होकर प्राप्त हुई। प्रति सं. 1 लगा. 3 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एड. द्वारा वकालतनामा/वकाल पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आगामी आदेश दिनांक 15/5/24 को पेश हो।
हस्ती

15/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षगण उपस्थित। वकील वादी ने TI पर बहस पेश की। मुख्य विवाद रास्ते का संज्ञान में आया वकील वादी ने बहस में बताया कि प्रार्थी ने अपनी जगह में वारबंदी व रिवार बीच खाई वकील अप्रार्थी ने google map पेश किया तथा दिनांक 15/12/23 एवं 26/12/23 की मौका रिपोर्ट पेश की। पत्रावली वास्ते खसरा सं. 271, 273 सहखातेदार को तलब वास्ते दिनांक 30/5/24 को पेश हो।
हस्ती

30/5/24 पत्रावली पेश हुई। फकुलाय फेरिकेन उपस्थित, पैठासान अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 10/6/24 को पेश हो।

10/6/24 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षगण उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस पेश की साथ ही तरल जलावली एवं समझौता राजीनामा पेश किया शा० पत्र० किया जाता है। सहखातेदार खसरा सं० 271, 273 उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया कि ग्राम गाडासरी तह० बुहाना ख.नं० 271 व 273 में खातेदार हैं। भूमि ख.नं. 271 के पश्चिमी तरफ भूमि ख.नं० 274 के पूर्वी गैट के सहारे सहारे 273 के दक्षिणी तरफ ख.नं० 276 तक 55-56 साल पुराना रास्ता है जिसे प्रार्थी ने बंद कर दिया है। साथ ही वकील अप्रार्थी

विजयसिंह / दलीप सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.24	रंजीत google sheet पेश की पत्रावली में अप्रार्थी वकील के TI को निरस्त बाबत निवेदन किया पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/06/24 को पेश हो। हस्ती	
20.06.24	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षगण उपस्थित। वकील वादी व प्रतिवादी बहस पूर्ण हो चुकी है। पत्रावली अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार ख नं० 285, 295, 296 में से राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थीगण जबरन खसरा नं: 296 में से रास्ता कायम करना चाहते हैं। हस्ती वकील अप्रार्थीगण ने बताया कि सम्बन्धित रास्ता 55-56 वर्षों से उपयोग आ रहा है जिसे हाल ही में प्रार्थीगण ने बंद कर दिया है जिसे आवागमन बाधित है इसी परिप्रेक्ष्य में नायब तहसीलदार सिंघाना के बाबत 251 का प्रार्थना पत्र पेश किया था। आगे खसरा नं. 276 में 50 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं अतः हमारा मुख्याधिकार प्रकाशित हुआ है अतः रिलीफ प्रदान करें। हस्ती पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के जवाब का अध्ययन किया। पटवारी की मौका रिपोर्ट में रास्ता प्रचलित है जो वर्णन में ख सं० 296, 271, 273 के कोनों पर बंद पाया गया, google sheet के नक्शे में भी रास्ता स्पष्ट है तथा सहलग्न खसरा सं० 271, 273 के खातेदारों ने भी उपस्थित होकर रास्ता 55-56 वर्ष पूर्व का बताया हस्ती अतः आदेशित किया जाता है कि दिनांक 28/12/2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रार्थीगण रास्ता छुट्टा प्रभाव से खोले तथा अप्रार्थीगण रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्ती	

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)